साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 07 जून 2021, वर्ष-7, अंक-10

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 8 रुपए

128 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदकर सरकार ने भरी किसानों की झोली

मध्यप्रदेश के किसान हुए मालामाल... 24,000 करोड़ से अधिक का भुगतान

संवाददाता, भोपाल

देशवासियों का पेट भरने वाले किसान कोरोना संकट में चरमराई अर्थव्यवस्था को भी संबल प्रदान कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों के पास कोरोनाकाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं और चना बेचकर 24 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम आई है।

इतनी बड़ी राशि से बाजार में समय-समय पर तरलता आएगी, जो आर्थिक संकट को कम करेगी। प्रदेश के बड़े वर्ग के पास खर्च करने के लिए इतनी बड़ी राशि होना राहत की बात है। कोरोनाकाल में मध्य प्रदेश के 17 लाख 16 हजार किसानों ने एक करोड़ 28 लाख टन से कुछ अधिक गेहूं एमएसपी पर बेचा है। इसके बदले उन्हें 23,508 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इसी तरह 55,340 किसानों ने एक लाख 53 हजार टन चना बेचा। इसके लिए 718 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। इस तरह प्रदेश के किसानों को 24,226 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।

किसानों को हुआ फायदा

इस बार राज्य सरकार ने गेहूं के साथ चना, मसूर और सरसों की खरीद भी एमएसपी पर की। इससे बाजार में उपज के दाम बढ़े। चना और मसूर का बाजार मूल्य एमएसपी से अधिक रहा। किसानों ने यह उपज खुले बाजार में बेची और एमएसपी से भी अधिक राशि प्रति क्विंटल प्राप्त की। गौरतलब है कि इस बार पंजाब ने सबसे अधिक 132.11 लाख टन गेहूं खरीदा है। वहां खरीद प्रक्रिया बंद हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में छिटपुट खरीद जारी है। यहां अब तक 128.13 लाख टन गेहूं खरीदा जा चुका है।

कोरोना संकट में किसान और मजदूर वर्ग ने जमकर पसीना बहाया और अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। अन्य उद्योग धंधों की तरह अन्नदाता भी काम बंद कर देता तो देश के सामने खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो जाता। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का भी किसानों को लाभ मिला है। एमएसपी पर उपज खरीदने के फैसले का असर यह हुआ कि बाजार में किसानों को कीमत अधिक मिली। सरकार का मकसद भी यही है कि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले। हम उनकी आय दोगुनी करने के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

– **कमल पटेल**, कृषि मंत्री, मप्र

ईओडब्ल्यू पहुंची सरकारी गेहूं बिक्री की शिकायत

इधर, मप्र सरकार मल्टीनेशनल कंपनियों के मोह तें 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं घाटे में बेचने जा रही है। इसको लेकर ईओडब्ल्यू में शिकायत की गई है। उधर, इसका ई-ऑक्शन होगा। आईटीसी और महू की एग्रो इफ्रास्टक्चर ई-ऑक्शन में शामिल होगी। मप्र स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन ने मल्टीनेशनल कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए छोटे व्यापारियों को टेंडर प्रक्रिया से बाहर रखने का जो षड्यंत्र रचा है उसका प्रदेशभर में विरोध हो रहा है। विरोध की असली वजह यह है कि जब प्रदेश के छोटे व्यापारी 1900 रुपए क्विंटल की दर से गेहूं खरीदने को तैयार हैं, तो सरकार 320 रुपए क्विंटल कम दर से क्यों बेचने पर आमादा है। कोलार रोड, भोपाल निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट भुवनेश्वर मिश्रा ने एसपी आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को ई मेल से शिकायत भेजकर कहा है कि 2 लाख टन गेहूं घाटे में बेचकर शासन को करोड़ों की राजस्व की क्षति पहुंचाई जा रही है।

कृषि क्षेत्र को डिजिटल और आत्मनिर्भर बनाने एग्रीबाजार से हुआ करार

अब देश का किसान होगा डिजिटल और बनेगा आत्मनिर्भर

संवाददाता, भोपाल/नई दिल्ली

डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने एग्रीबाजार से महत्वपूर्ण करार किया है। गौरतलब है कि एग्रीबाजार कृषि प्रौद्योगिकी बड़ा मंच है। इस करार के बाद ग्रामीण भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। वहीं डिजिटल कृषि को भी एक नई दिशा मिलने की संभावना है। इधर, एग्रीबाजार कृषि मंत्रालय के सहयोग से जल्द ही तीन प्रदेशों में डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर के हवाले से इस संबंध में कंपनी ने एक बयान जारी किया है। बयान में कंपनी ने कहा कि इस करार के बाद किसानों के लिए एक डिजिटल प्लेटफार्म बनाने सहुलियत मिलेगी। इस करार से एग्रीकल्चर क्षेत्र को डिजिटल और आत्मनिर्भर बनाने का सपना पूरा होगा।

तैयार होगा डिजिटल डेटाबेसः दावा किया जा रहा है कि इस करार के बाद देश का किसान भी डिजिटल हो जाएगा। वह डिजिटल माध्यम से खेती संबंधित सुझाव जान पाएगा। साथ ही किसान फसल कटाई प्रबंधन, बाजार की जानकारी आसानी से जान पाएगा। एग्री बाजार के सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक अमित मुंडावाला का कहना है कि इस करार के बाद देश का किसान कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग बेहद सरलता से कर पाएगा।

तीन राज्यों में शुरू होंगे पायलट प्रोजेक्टः कृषि मंत्रालय से करार के बाद एग्रीबाजार जल्द ही तीन राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेंगी। यह पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में शुरू होंगे। यह जानकारी केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने अपने बयान में दी है। इन पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने में केन्द्रीय कृषि मंत्रालय एग्रीबाजार का सहयोग करेगा। गौरतलब है केंद्र 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रयासरत है।

ग्रामीण भारत और डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करना पहली प्राथमिकता होगी। डिजिटल डेटाबेस के जरिए ही किसानों को सुदृढ़ता प्रदान करने और उनकी आय को दोगुना करने में मदद मिलेगी। एग्रीकल्चर फील्ड में डिजिटल तकनीकों का समावेश करना एक अहम कदम होगा।

नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री

बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का शुभारंभ, 10 लाख किसानों को लाभ

इधर, 10 लाख किसानों को लाभ, 10 हजार करोड़ के निवेश की उम्मीद, बागवानी क्षेत्र में इजाफा करने व किसानों को ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के अवसर पर बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड इसे कार्यान्वित करेगा। कृषि मंत्रालय ने देश में विभिन्न फसलों के लिए 53 बागवानी कलस्टरों की पहचान की है। इन में से, 12 कलस्टरों को इसे शुरुआती तौर पर चुना गया है। 5 से 7 वर्षों की अवधि में सभी 53 कलस्टरों में कार्यक्रम लागू किए जाने पर, कुल निर्यात लगभग 20 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है। भारत, विश्व में बागवानी फसलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है व विश्व के फल-सब्जियों का 12 प्रतिशत उत्पादन करता है।

10 हजार करोड़ के निवेश की उम्मीद

12 कलस्टरः सेब -शोपियां (जम्मू-कश्मीर), किन्नौर (हिमाचल प्रदेश), आम-लखनऊ (उप्र),कच्छ (गुजरात) एवं महबूबनगर (तेलंगाना), केला-अनंतपुर (आंध्र) एवं थेनी (तमिलनाडु), अंगूर -नासिक (महाराष्ट्र), अनानास -सिफाहीजाला (त्रिपुरा), अनार -शोलापुर (महाराष्ट्र) एवं चित्रदुर्ग (कर्नाटक) और हल्दी-वेस्ट जयंतिया हिल्स (मेघालय)।

प्रदेश में 15 जून से समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी मूंग

- समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए आठ जून से होगा पंजीयन
- केंद्र सरकार कोटा बढ़ाने को राजी
- एक लाख टन से ज्यादा खरीदी जाएगी

संवाददाता, भोपाल

प्रदेश में 15 जून से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद होगी। इसके लिए किसानों का पंजीयन आठ जून से शुरू होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद यह निर्णय लिया है। वहीं, यह भी तय किया गया है कि चना की समर्थन मूल्य पर खरीद 15 जून तक जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 34 हजार टन की अनुमति दी थी। प्रदेश में हरदा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर सहित अन्य जिलों में छह लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में मूंग की खेती की गई है। क्षेत्रफल और अच्छे उत्पादन की संभावना को देखते हुए कृषि विभाग ने डेढ़ लाख टन मूंग की खरीद का प्रस्ताव केंद्रीय कृषि मंत्रालय को भेजा था, लेकिन अनुमति कम की मिली। इसे देखते हुए फिर से प्रस्ताव भिजवाया गया है। बताया जा रहा है कि इसे अनुमति मिल गई है। उधर, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक में मूंग की खरीद करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद की जाएगी। चने की खरीद की अंतिम तारीख भी 15 जून कर दी है। सात हजार 196 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मूंग खरीदी जाएगी। इससे न सिर्फ बाजार में तेजी आएगी बल्कि किसानों को उपज का उचित मूल्य भी मिलेगा।

इनका कहना है

अन्नदाता का हित ही मेरे लिए सर्वोपरि है। मूंग की गिरती कीमतों से किसान चिंतित न हों। उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए हम संकल्पित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत सरकार के सहयोग ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी।

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

खरीफ मौसम में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों के सुझाव

अन्नदाताओं की फसल रहेगी स्वस्थ और अच्छे उत्पानदन के साथ मिलेगा मुनाफा

खरीफ की फसलों के बावनी का समय शुरू हो चुका है, ऐसे में किसान क्या करें कि उनकी फसल कीट-ब्याध रहित रहे और अच्छा उन्हें उत्पादन भी मिले। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र सागर के वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए कुछ सलाह दी है, जिसे अपनाकर किसान फसल में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। 'जागत गांव हमार' में पेश है कृषि वैज्ञानिकों के सुझाव...।

1. रबी की फसल कटाई के बाद खाली खेतों की ग्रीष्म कालीन गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दें ताकि सूर्य की तेज धूप के कारण इसमें छुपे विभिन्न हानिकारक कीटों के अंडे तथा नींदा के बीज व कंद नष्ट हो जाएंगे। साथ ही मृदा में वायु संचार व जलधारण क्षमता में वृद्धि होगी।
2. रबी फसलों की कटाई के बाद मानसून से पहले विभिन्न खेतों से मृदा नमूना एकत्र कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजें व मृदा स्वास्थ्य पत्रक में दी गई अनुशंसा अनुसार खाद व संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग कर टिकाऊ तथा वैज्ञानिक खेती करें।
3. ग्रीष्मकालीन उड़द, मूंग एवं सब्जियों में सफेद मक्खी एवं अन्य रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए एसिटामप्रीड 20 एस पी एक ग्राम प्रति लीटर अथवा बीटासाईफ्लूथ्रीन, इमिडाक्लोप्रीड) 0.5 मिली लीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें।
4. अरहर उत्पादन की कम लागत एवं जल संरक्षण के साथ भरपूर पैदावार देने वाली पद्धति, अरहर सघनीकरण प्रणाली के लिए नर्सरी तैयार करें।
5. मृदा उर्वरता में वृद्धि करने के लिए हरी खाद – सनई या ढेंचा या लोबिया या उर्द मूंग की बोवनी मई माह के अंत तक करें।
6. खेत से दीमक को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए खेत की मेंढो या आस-पास बने बमीठों को नष्ट करें।
7. खेत की तैयारी करते समय ध्यान दे की खेत के ढाल की विपरीत दिशा में जुताई एवं बखरनी करें।
8. खरीफ फसलों की बोवनी के पूर्व निम्न बातों का ध्यान दें- सही फसल का चुनाव, उन्नत किस्म का चयन, बीजोपचार, दवाओं, जैव उर्वरक, उपयुक्त नींदानाशक एवं मृदा स्वास्थ्य पत्रक आधारित उर्वरक आदि की व्यवस्था बोवनी के कम से कम एक सप्ताह पूर्व अवश्य कर लें।
9. खडी फसल में (बोवनी या रोपाई के बाद) डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिंक सल्फेट का प्रयोग कदापि नहीं करें। इन उर्वरकों का प्रयोग बोवनी के पहले या बोवनी के साथ या रोपाई के पहले आधार रूप में किया जाता है।

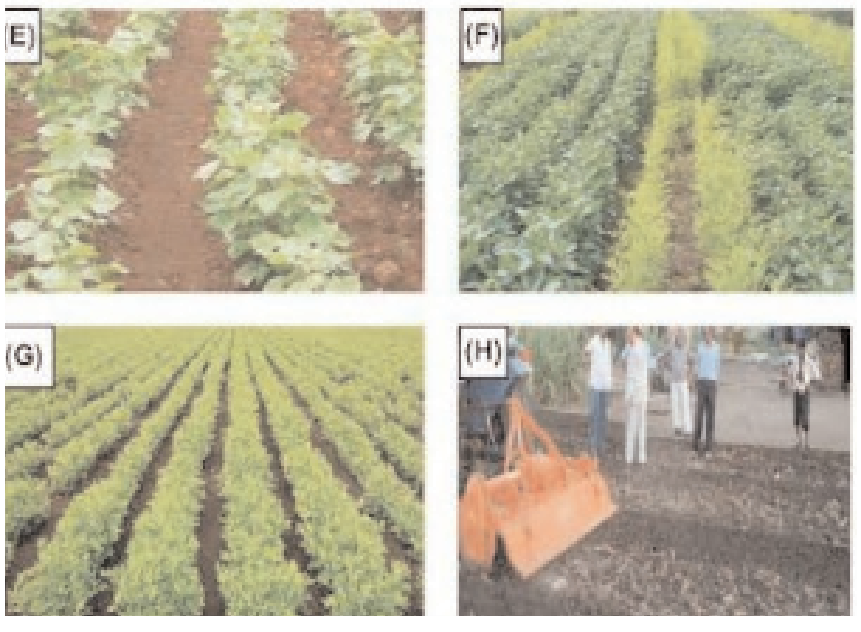

मानसून की समान्य स्थिति

1. सोयाबीन की बोवनी 25 जून से 05 जुलाई के बीच मानसून आने पर सोयाबीन की उन्नत किस्मे जेएस 2069, जेएस 2098, आरवीएस 2004-1, आदि की बोवनी पहले करें बाद में 05 जुलाई से 10 जुलाई के बीच जेएस 93 05, जेएस 2029, जेएस 2034, जेएस 9560, आदि की बोवनी करें।
2. सोयाबीन मे मृदा परीक्षण परिणाम के आधार पर संतुलित उर्वरक 20: 60: 40: 20 एनपीकेएस किलो/हेक्टेयर . बीज को राइजोबियम और पी एस बी कल्चर 10 ग्राम/किग्रा बीज का प्रयोग करना चाहिए।
3. मिश्रित फफूंदनाशक थायरम कार्बोक्सिन 2 ग्राम/किग्रा बीज या थायरम कार्बेंडाजिम (2: 1) 3 ग्राम/किग्रा बीज या ट्राइकोडर्मा विरिडे 10 ग्राम/किग्रा बीज के साथ बीजोपचार करें।
4. थाइमेथोक्साम 30 डब्ल्यूपी 10 ग्राम/किग्रा बीज के साथ बीज उपचार जहां स्टेम मक्खी, सफेद मक्खी और पीला मोजेक वर्ष दर वर्ष होता है।

विलंबित मानसून की स्थिति

-कूंड़ एवं नाली विधि से बोवनी, करें तथा फफूंदनाशक 02 ग्राम अथवा ट्राइकोडर्मा विरिडी 10 ग्राम प्रति किलो ग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। उपचारित बीज को राइजोबियम व पीएसबी कल्चर की 10 ग्राम प्रति किलो ग्राम बीज के मान से निवेशित (उपचारित) करना चाहिए। मृदा परीक्षण परिणाम के आधार पर संतुलित उर्वरक (20: 60: 40: 20 एनपीकेएस किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर) का प्रयोग, जल उपलब्धता पर हल्की सिंचाई एवं कर्षण विधि (डोरा, कुल्फा, बक्खर) खरपतवार प्रबंधन करना चाहिए।

-**कूंड़ एवं नाली विधि** - उन्नत किस्म के साथ (जेएस -2034, जेएस -9560, जेएस --9305, जेएस -2034) कूड एवं नाली विधि से बुवाई, फफूंदनाशक 02 ग्राम अथवा ट्राइकोडर्मा विरिडी 10 ग्राम प्रति किलो ग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। उपचारित बीज को राइजोबियम व पीएसबी कल्चर की 8-10 ग्राम प्रति किलो ग्राम बीज के मान से निवेशित (उपचारित) करना चाहिए। मृदा परीक्षण परिणाम के आधार पर संतुलित उर्वरक (20: 60:20 नफपो किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर) का प्रयोग, जल उपलब्धता पर हल्की सिंचाई एवं कर्षण विधि (डोरा, कुल्फा, बक्खर) खरपतवार प्रबंधन करना चाहिए।

नमी संरक्षण के लिए इंटरकल्चरल ऑपरेशन

सूखे की स्थिति में - फसल की वृद्धि की अवधि के दौरान यदि आवश्यक हो तो सिंचाई करें। साथ ही मिट्टी में नमी संरक्षण के लिए इंटरकल्चरल ऑपरेशन करना चाहिए।

धान

कम अवधि की उन्नत किस्म जैसे (जेआर 201, जेआर 206. जेआर 81, जेआर 676, एमटीयू 10-10, दन्तेश्वरी, सहभागी, तथा मध्यम अवधि की किस्में क्रांति, महामाया,आईआर 36, एवं 64 पूसा बासमति एक तथा पूसा सुगंधा 5, पीएस-3, पीएस-4, पीए 6129, पीए 6201 की पंक्तियों में बोवनी या रोपाई करें। एवं फफूंदनाशक 02 ग्राम अथवा ट्राइकोडर्मा विरिडी 10 ग्राम प्रति किलो ग्रमा बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। उपचारित बीज को राइजोबियम व पीएसबी कल्चर की 8-10 ग्राम प्रति किलो ग्राम बीज के मान से निवेशित (उपचारित) करना चाहिए। मृदा परीक्षण परिणाम के आधार पर संतुलित उर्वरक (100: 60: 40 न.फ.पो. किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर) का प्रयोग एवं उपयुक्त नीदानाशक दवा से खरपतवार का प्रबंधन।

देर से मानसून की स्थिति में उड़द और मूंग की बोवनी

उड़द - और मूंग की बोवनी समान्यत: 05 जुलाई के बाद 20 से 25 जुलाई तक करना चाहिए। उन्नत किस्म जेयू-86, पीयू-31, पीयू-19, पीय-1, आईपीयू-94.1 के साथ कूड एवं नाली विधि से बोवनी, फफूंदनाशक 02 ग्राम अथवा ट्राइकोडर्मा विरिडी 10 ग्राम प्रति किलो ग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। उपचारित बीज को राइजोबियम व पीएसबी कल्चर की 10 ग्राम प्रति किलो ग्राम बीज के मान से निवेशित (उपचारित) करना चाहिए। मृदा परीक्षण परिणाम के आधार पर संतुलित उर्वरक (20: 60:20 न.फ.पो. किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर) का प्रयोग, जल उपलब्धता पर हल्की सिंचाई एवं कर्षण विधि (डोरा, कुल्फा, बक्खर) खरपतवार प्रबंधन करना चाहिए।

-**मूंग** - उन्नत किस्म पीडीएम-139ए टीजेएम-3, जेएम-721, विराट शिखा पीडीएम-131, एचयूएम-11, एचयूएम-16 के साथ कूड एवं नाली विधि से बुवाई, फफूंदनाशक 02 ग्राम अथवा ट्राइकोडर्मा विरिडी 10 ग्राम प्रति किलो ग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। उपचारित बीज को राइजोबियम व पीएसबी कल्चर की 8-10 ग्राम प्रति किलो ग्राम बीज के मान से निवेशित (उपचारित) करना चाहिए। मृदा परीक्षण परिणाम के आधार पर संतुलित उर्वरक (20: 60:20 नफपो किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर) का प्रयोग, जल उपलब्धता पर हल्की सिंचाई एवं कर्षण विधि (डोरा,कुल्फा,बक्खर) खरपतवार प्रबंधन करना चाहिए।

-मूंग, में उड़द और सोयाबीन फसल के साथ अरहर एवं मक्का तथा ज्वार की अंतरवर्ती फसल बोवनी किसानों को करना चाहिए।

-अरहर की अधिक उत्पादन देने वाली किस्में जैसे राजीव लौचन, टीजेटी 501, आईपीपीएल 87, तथा राजेशवरी किस्मों का प्रयोग करें। बीज उपचार के बाद जून के आखिरी सप्ताह तथा जुलाई प्रथम सप्ताह तक लाईन से बोवनी करें।

600 करोड़ में जवान होंगे मप्र के उम्रदराज बांध!

जुलाई 2019 में तैयार कार्ययोजना अब होगी साकार

सौ वर्ष पुराने बांधों का होना है पुनरुद्धार

संवाददाता, भोपाल

भू-गर्भशास्त्रियों और वैज्ञानिकों की चेतावनी के बाद केंद्रीय जल आयोग ने जुलाई 2019 को मप्र के 59 बांधों सहित देशभर के 100 साल पुराने 220 बांधों के पुनरुद्धार की कार्ययोजना बनाई थी। अब करीब दो साल बाद सरकार को अपनी कार्ययोजना की याद आई है और मप्र के दरक रहे उम्रदराज बांधों को जवान बनाने (पुनरुद्धार करने)के लिए करीब 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के 23 बांध तो ऐसे है जो जर्जर हो गए हैं। उनमें से अधिकांश खतरे की जद में हैं। अहमदाबाद स्थित भूकंप अनुसंधान संस्थान का कहना है कि अगर इनके आसपास 7.9 मैग्नीट्यूट तीव्रता वाला भूकंप आता है तो हर तरफ जलजला हो जाएगा, क्योंकि मप्र के कई बांधों की स्थिति इतना तेज झटका बर्दास्त करने की नहीं है। भू-गर्भशास्त्रियों और वैज्ञानिकों के मुताबिक, मप्र अपेक्षाकृत कम खतरे वाले हिस्से जोन-3 में आता है। इस कारण यहां के बांधों के निर्माण में भूकंपरोधी क्षमता की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। जानकारी के अनुसार, जिन बांधों का इस राशि से पुनरुद्धार किया जाएगा उनमें से अधिकांश सफेद हाथी बने हुए हैं। यानी न उनसे सिंचाई होती है और न ही बिजली बनती है।

गौरतलब है कि 2019 में केंद्रीय जल आयोग ने 100 साल से पुराने देश के 220 बांधों को चिन्हित कर उनका पुनरुद्धार करने के लिए रजिस्टर किया था। इनके पुनरुद्धार और सुधार के लिए 3,466 करोड़ रुपए स्वीकृत भी किए गए थे। साथ ही राज्यों को निर्देश दिया गया था कि बांधों के संरक्षण के लिए आपदा प्रबंधन योजना और आपातकालीन कार्ययोजना बनाएं। उसके बाद मप्र सरकार और बांध से जुड़ी उसकी एजेंसियों ने बांधों की कार्ययोजना तैयार की थी, लेकिन करीब दो साल तक मामला लटका रहा। अब प्रदेश की शिवराज सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। सिंचाई विभाग के सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में जिन पुराने बांधों का रखरखाव किया जाना है उनमें भगवंत सागर, चंदिया तालाब, वीरपुर तालाब, गांधी सागर बांध, हथाईखेड़ा बांध, चोरल परियोजना, चंदोरा परियोजना, गाडगिल सागर परियोजना, केरवा बांध, माही परियोजना, नंदनवारा तालाब, वीर सागर, बहोरी बांध परियोजना, राजधाट परियोजना, यसाकाल्दा तालाब, मनसूरवारी परियोजना आदि शामिल है। इसमें भी सबसे अधिक राशि 286 करोड़ से अधिक गांधी सागर परियोजना पर खर्च किया जाना प्रस्तावित है।

5 लाख हेक्टेयर सिंचाई सुविधा बढ़ाने का लक्ष्य

एक पंथ दो काज की तर्ज पर राज्य सरकार बांधों के पुनरुद्धार करने के साथ ही सिंचाई सुविधा बढ़ाने पर जोर दे रही है। प्रदेश सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे सिंचाई सुविधा में वृद्धि के प्रयासों के तहत अब बूढ़े हो चुके करीब दो दर्जन से अधिक बाधों का नए सिरे से रखरखाव किए जाने की तैयारी की गई है। इन पर कुल मिलाकर 600 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने का अनुमान है। यह राशि सिंचाई विभाग कर्ज के माध्यम से जुटाएगा। यह वे बांध हैं जिनका निर्माण हुए करीब पांच दशक से अधिक का समय हो चुका है। इन बाधों का रखरखाव करने के साथ ही नए सिरे से कुछ इलाकों में नहरों का निर्माण भी किया जाएगा। सिंचाई विभाग के सूत्रों के मुताबिक इसके लिए सरकार द्वारा विश्व बैंक से 455 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी की जा रही है। इसके अतिरिक्त इसमें 20 फीसदी राशि का हिस्सा राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस 551 करोड़ के खर्च के बाद प्रदेश में करीब 5 लाख हेक्टेयर जमीन में नए सिरे से सिंचाई सुविधा बढ़ जाएगी।

मध्यप्रदेश में बने कई बांध सफेद हाथी

प्रदेश में एक तरफ सरकार पुराने बांधों का पुनरुद्धार कर सिंचाई क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मप्र की लाइफ लाइन नर्मदा नदी पर बने पांच बांध सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। इन बांधों के जरिए बिजली और सिंचाई के दावे सिर्फ दावे बनकर रह गए हैं। जबकि इन बांधों के कारण हजारों लोग विस्थापन, बाढ़, बेरोजगारी, भूखमरी का दंश झेल रहे हैं। नर्मदा नदी पर कुल 30 बड़े बांध और उसकी सहायक 45 नदियों पर 135 मझोले और 3000 छोटे बांधों का निर्माण किया जाना है। अब तक नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध को मिलाकर पांच बांध बन चुके हैं। लेकिन एक बारगी इन बांधों के लाभों पर गौर करें तो समझ आया जाएगा कि ये बांध बस खड़े हो गए हैं। इससे मिलने वाला लाभ नाकाफी है। 49 साल पहले यानी 1972 में प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी पर 30 बड़े बांध बनाने की योजना बनाई थी। लेकिन अब तक पांच बांध बरगी, इंदिरा सागर, महेश्वर, ओंकारेश्वर और सरदार सरोवर बांध बने हैं।

ये बांध सबसे खतरनाक

सिंचाई विभाग के सूत्रों के मुताबिक मप्र के कई बांध वर्तमान में जर्जर अवस्था में हैं। ये बांध लोगों की जानमाल के लिए भी खतरे की घंटी बजा रहे हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर इन बांधों का पुनरुद्धार समय पर नहीं हुआ तो ये बारिश में खतरा पैदा कर सकते हैं।

जिलावार चयनित बांध

बांध- डोगरबोदी,अमनल्ला,बिठली, बसीनखार, रामगढ़ी, तुमड़ीभाटा, कुतरीनल्ला बड़वानी-रंजीत, बैतूल-सतपुड़ा, भोपाल-केरवा और हथाईखेड़ा, छतरपुर-मदारखबनधी और गोरेताल, दमोह में माला, मझगांव, हसबुआमुदर, गोड़ाघाट, चिरेपानी, रेदैया, छोटीदेवरी, जुमनेरा, नूनपानी, दतिया में रामसागर(गुना) रामपुर, अमाही, खानपुरा, जमाखेड़ी, भरोली,मोहरी, केशोपुर, खानकुरिया, समर सिंघा, ग्वालियर में हरसी, तिगरा, रामोवा, टेकनपुर,सिमरियानग, खेरिया,रीवा में गोविंदगढ़,सागर में नारायणपुरा, रतोना, चांदिया,सतना जिले में लिलगीबुंदबेला,सीहोर जिले में जमनोनिया, सिवनी जिले में अरी, समाल, चिचबुंद, बारी, शाजापुर जिले में नरोला, सिलोदा, शिवपुरी में धपोरा, चंदापाठा, डिनोरा, नागदागणजोरा, झलोनी, रजागढ़, अदनेर, ककेटो, विदिशा में घटेरा,उज्जैन में अंतालवासा, कड़ोडिया, शाजापुर में नरोला, सलोदा, होशंगाबाद में दुक्रिखेड़ा, धनदीबड़ा -इंदौर जिले में यशवंत नगर, देपालपुर, हशलपुर, जबलपुर में परियट, बोरना, पानागर कटनी जिले में पिपरोद, गोहबंनधा, पथारेहटा, दारवारा, पब्रा, अमेठा, जगुआ, जगुआ, लोवर सकरवारा, अपर सकरवारा, बोहरीबंद, अमाड़ी, बोरिना लोवरटी, मौसंधा, मंदसौर जिले में पोदोंगर, गोपालपुरा, पन्ना में, लोकपाल सागर, रायसेन जिले में लोवर पलकसती शामिल है।

यूपी के बांधों का बोझ मप्र पर

मप्र की जमीन पर बने उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन बांधों के कारण पिछले कई दशक से मप्र हर साल बाढ़ से तबाही झेल रहा है। इन बांधों से मप्र को दोहरी मार पड़ रही है। एक तो यहां जमीनें खराब हो रही हैं और साथ ही बांधों के बकाए राजस्व की राशि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। प्रदेश को होने वाली इस राजस्व की क्षति की वसूली के लिए प्रदेश की सरकारों ने कभी पहल नहीं की जबकि दूसरी ओर एक बड़े रकबे में भूमि सिंचित करने और बकाया भू-भाटक कोई जमा न करने से उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों हाथों में लड्डू हैं। इस बीच केन बेतवा नदी गठजोड़ परियोजना पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं।

जर्जर बांधों की जद में प्रदेश की आधी आबादी

मप्र में जिन बांधों का पुनरुद्धार होना है उनमें से अधिकांश जर्जर अवस्था में हैं। सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित है, क्योंकि प्रदेश के 23 बांध 100 साल से भी अधिक पुराने हो गए हैं और अधिकांश खतरे की जद में हैं। वैज्ञानिक डॉ. अशोक कुमार कहते हैं कि जिस तरह टिहरी बांध 9 से 10 मैग्निट्यूड के भूकंप को भी झेलने में सक्षम है उस तरह की क्षमता मप्र के बांधों में नहीं है। वैसे भी मप्र के बांध पिछले कुछ सालों से जर्जर अवस्था में पहुंच गए हैं। गत वर्षो में बारिश के दौरान डिंडोरी का गोमती बांध, हमेरिया बांध, रामगढ़ी, सिमरियानग, चांदिया, गोरेताल, लोकपाल सागर, भरोली सहित करीब दर्जनभर बांधों में रिसाव और दरार आने से आसपास के क्षेत्रों में दहशत फैल गई थी। हालांकि समय पर इन बांधों के रिसाव और दरार को दुरूस्त कर दिया गया, लेकिन ये घटनाएं इस बात का संकेत दे गईं हैं की अगर बांधों की लगातार देखरेख और मरम्मत नहीं की गई तो ये कभी भी जानलेवा बन सकते हैं। प्रदेश के करीब 91 बांध उम्रदराज हैं और ये कभी भी दरक सकते हैं। वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट के आंकडों के अनुसार प्रदेश में पेयजल उपलब्ध कराने, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए 168 बड़े और सैकड़ों छोटे बांध बनाए गए हैं।

नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर कहती है कि देखरेख और मेंटेनेंस के अभाव में कई छोटे-बड़े बांध बूढ़े और जर्जर हो चुके हैं। इनमें से कुछ की उम्र 100 साल से ज्यादा है। इन उम्रदराज बांधों को लेकर बेपरवाह प्रशासन ने न तो इन्हें डेड घोषित किया और न ही मरम्मत की कोई ठोस पहल की। ऐसे में लबालब होने पर अगर ये बांध दरक गए या टूट गए तो कभी भी बड़ी तबाही ला सकते हैं। इन बांधों की वजह से नदियां भी अपनी दिशा बदल सकती हैं। इससे भी बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन इस ओर कभी किसी का ध्यान नहीं गया है। प्रदेश के लगभग आधा सैकड़ा बांधों की उम्र 50 साल पूरी हो चुकी है। जबकि 23 बांध तो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ऐसे में इन बांधों की ठोस मरम्मत नहीं होने से इनके आधार कमजोर हो चले हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक बड़े बांधों की उम्र 100 वर्ष व छोटे बांध की उम्र लगभग 50 वर्ष मानी जाती है। इस उम्र तक इन बांधों की मजबूती बनी रहती है।

गेट से ज्यादा खतरा

बांधों में सबसे ज्यादा खतरा गेट के खराब होने का रहता है। हर साल गेट की मरम्मत होनी जरूरी हैं। ज्यादातर गेट के रबर-सील कट जाते हैं, जिन्हें नहीं सुधारने पर बगैर गेट खोले ही पानी बहने लगता है। इसके अलावा चोक नालियां भी खतरा बन सकती हैं। पिछले चार साल से करीब दो दर्जन बांध जब बारिश के दिन में लबालब होते हैं तो उनके गेट से पानी बहने लगता है। लेकिन मप्र वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बताया जात है हर साल सैकड़ों एकड़ खेती तो बांध से निकले पानी से ही खराब हो जाती है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि तीन साल पहले एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें बांधों की बदहाल स्थिति को बताया गया था। लेकिन रिपोर्ट फाइलों में ही दब कर रह गई थी। प्रदेश के कई बांधों में रिसाव की समस्या आम है। आए दिन रिसाव वाली जगह से बांधों के आशिंक रूप से टूटने की खबरें आती रहती हैं। बांध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल के अलावा अन्य आर्थिक नुकसान भी होते हैं। मंदसौर शहर को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए चार दशक पहले बने धुलकोट बांध पर अब खनन माफियाओं की नजर पड़ गई है। शहर के पश्चिमी इलाके में बने इस ढाई किलोमीटर लंबे बांध की पाल को मिट्टी माफियाओं ने खोदना शुरु कर दिया है और वे चोरी छिपे यहां से ट्रॉलियों में मिट्टी भरकर ले जा रहे है, जिसका ईंट बनाने में उपयोग कर रह रहे हैं।

पर्यावरण सुरक्षा को बनाएं नागरिक धर्म

अवनीश सोमकुवर
लेखक जनसंपर्क अधिकारी हैं

विश्व पर्यावरण पर्यावरण दिवस पर सभी नागरिक बंधुओं को शुभकामनाएं। हम सब अपने पर्यावरण के प्रत्येक तत्व को नमन करें जो सदा से स्पंदनशील हैं। नन्हें पौधे-विशाल वृक्ष, नन्हें झरने-विशाल नदियां, नन्हे कंकर-विशाल पर्वत। कीट-पतंगे और मनुष्य। सभी को नमन करने और उनकी उदारता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का दिन है आज।

वैसे पर्यावरण दिवस हर साल मनाते हैं। हर साल कुछ रस्म अदायगी होती है। चिंताएं जाहिर होती हैं। पर्यावरण के अस्तित्व पर चर्चाएं होती हैं। चिंता यह है कि पर्यावरण से जुड़े विषय हमारी नागरिक संस्कार से गहरे नहीं जुड पा रहे हैं। चाहे जलवायु परिवर्तन हो या नदियों को शुद्ध और जीवित रखने के मुद्दे हों या पेड़ों को बचाने का मामला हो। हमारा जुडाव गहरा होना चाहिए था।

वैसे पर्यावरण दिवस हर साल मनाते हैं। हर साल कुछ रस्म अदायगी होती है। चिंताएं जाहिर होती हैं। पर्यावरण के अस्तित्व पर चर्चाएं होती हैं। चिंता यह है कि पर्यावरण से जुड़े विषय हमारी नागरिक संस्कार से गहरे नहीं जुड पा रहे हैं। चाहे जलवायु परिवर्तन हो या नदियों को शुद्ध और जीवित रखने के मुद्दे हों या पेड़ों को बचाने का मामला हो। हमारा जुड़ाव गहरा होना चाहिए था।

वर्षों पहले अंग्रेजी के महान प्रकृति प्रेमी कवि विलियम वर्डसवर्थ ने कहा था कि प्रकृति को अपना शिक्षक बनने दो। प्रकृति हमें सिखाती है कि मनुष्य का जीवन हर हाल में खुशहाल बन सकता हैं। सह-अस्तित्व प्रकृति की सबसे बड़ी सीख है। इमली कभी महुआ से नहीं कहती मेरे सामने क्यों उग आए? अपनी पैनी चोंच से पेड़ के मोटे तने में छेद करने वाले कठफोड़वे को पेड़ कोई सजा नहीं देता।

हाल में जर्मन वनस्पति विज्ञानी और अत्यंत प्रतिभाशाली लेखक पीटर होलबेन की किताब 'दि हिडन लाइफ ऑफ ट्रीज' के कुछ अंश पढ़ने में आए। अब यह साबित हो चुका है कि पेड़ आपस में संवाद करते हैं। उनकी कोई लिपि नहीं होती। वे गंध के माध्यम से अपने संदेशों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। वे दुखी होते हैं और खुशियां भी मनाते हैं। अनुसंधानों से यह भी सिद्ध हो गया है कि जो पेड़ अपने सजातीय पेड़ों के बीच रहते हैं उनकी आयु लंबी होती है।

हर साल जुलाई का महीना आता है और पर्यावरण बचाने का दिखावा करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ती है। अखबारों में पौधा-रोपण करते हुए चित्र छपते हैं। पौधा-रोपण का समय खत्म होते ही फिर कोई नहीं पूछता कि जिस पौधे को रोपा गया था, वह किस हाल में है। जब पौधों को बचाने की असली जिम्मेदारी आती है, तो साफ बच जाते हैं। इसीलिए जितनी संख्या में पौधे रोपे जाते हैं, बहुत कम जीवित रहते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में पौधों का रोपण शुभ कार्य माना गया है। भारतीय उपासना पद्धति में वृक्ष पूजनीय है, क्योंकि उन पर देवताओं का वास माना गया है। गौतम बुद्ध का संदेश है कि प्रत्येक मनुष्य को पांच वर्षों के अंतराल में एक पौधा लगाना चाहिए। भरत पाराशर स्मृति के अनुसार जो व्यक्ति पीपल, नीम, बरगद और आम के पौधे लगता है और उनका पोषण करता है, उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वृक्षायुर्वेद का उल्लेख है। वर्तमान समय में पर्यावरण के प्रति जन-चेतना अवश्य बढ़ी है, लेकिन महानगरीय समाज पेड़-पौधों के साथ अभी भी आत्मीय संबंध स्थापित नहीं कर पाया है। इतिहास बताता है कि पर्यावरण संवर्धन में यदि भावनात्मक प्रखरता की कमी होती है तो परिणाम नहीं निकलता। स्वस्थ पर्यावरण की सभी को समान रूप से जरूरत है चाहे वे किसी भी राजनैतिक दल या विचारधारा के हों। ऑक्सीजन के बिना जीवन नहीं होगा। विनाश से बचने के लिए समाज को प्रकृति-आराधना की परंपरा पुनर्जीवित करते हुए वृक्षों के साथ जीना सीखना होगा। नई पीढ़ी को नीम, आंवला, पीपल, बरगद, महुआ, आम जैसे परंपरागत वृक्षों की नई पौध तैयार करने की अवधारणा समझाना आवश्यक है। वनस्पतियों का जो सम्मान भारत भूमि पर है वह अंयत्र नहीं है। पाश्चात्य विद्वानों, दार्शनिकों ने भी प्रकृति का आदर करना भारतीय धर्मग्रंथों और परंपराओं से ही सीखा है। प्रसिद्ध अमेरिकी निबंधकार और दार्शनिक कवि सर इमसून ने अपने शिष्य हेनरी डेविड थोरो को कहा था कि यदि प्रकृति के अलौकिक स्पंदन और माधुर्य को अनुभव करना हो तो उसकी शरण में रहो।

हमारे सभी धार्मिक, सांस्कृतिक संस्कारों में वृक्षों की मंगलमय उपस्थिति है। कई भारतीय संस्कारों, व्रतों, त्यौहारों के माध्यम से वृक्षों की पूजा-अर्चना होती है। वृक्षों के नाम से कई व्रत रखे जाते हैं जैसे वट सावित्री व्रत, केवड़ा तीज, शीतला पंजा, आमला एकादशी, अशोक प्रतिपदा, आम्र पुष्प भक्षण व्रत आदि। 'मनु स्मृति' में वर्णित है कि वृक्षों में चेतना होती है और वे भी वेदना और आनंद का अनुभव करते हैं। समाज के गैर जिम्मेदार व्यवहार से यदि उनकी मृत्यु होती है तो समाज को उतना ही दु:ख होना चाहिए जितना प्रियजन की मृत्यु पर स्वाभाविक रूप से होता है।

समाज की ओर से भी पौधा रोपण का स्वैच्छिक अनुष्ठानिक कार्य होना चाहिए। भविष्य की पीढ़ी अपने पुरखों पर गर्व कर सके इसके लिए वर्तमान पीढ़ी से थोड़ी-सी संवेदनशीलता की अपेक्षा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्व-प्रेरणा से हर दिन एक पौधा लगाने का संकल्प लिया है। यह उनके नागरिक संस्कार को प्रोत्साहित और आम नागरिकों को प्रेरित करने की अनूठी पहल है। यदि प्रत्येक नागरिक एक जीवित नन्हे पौधे का जिम्मेदार और संवेदनशील पालक बनने की चुनौती स्वीकार कर लें तो हम सब हरियाली से समृद्ध होते जाएंगे। इसलिए आज यह संकल्प लें कि हम जहां रहें अपने पर्यावरण का आदर करें।

आपदा काल में पुलिस ने अपने कार्यों से लोगों के मन में विश्वास की नींव डाली

पिछले सालभर से अधिक समय से लगभग पूरे देश में कोरोना संक्रमण जनित आपदा के कारण अधिकांश लोगों की दिनचर्या में व्यापक बदलाव आया है। बाहर घूमने-फिरने की प्रक्रिया लगभग ठप है। जहां तक संभव हो रहा है, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा घर से ही काम की छूट दी गई है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच एक बार फिर अधिकांश लोग अपने अपने घरों में रह रहे हैं। लेकिन देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो वास्तव में कोरोना योद्धा कहलाने योग्य है और जो लाकडाउन के दौर में भी अधिकांश समय सड़कों पर ही रहा। निश्चित रूप से हम पुलिस प्रशासन की ही बात कर रहे हैं जिसने कोरोना प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सडकों पर मोर्चा संभाल रखा है। ऐसे में इंटरनेट मीडिया के विभिन्न मंचों के जरिये हमने अनेक ऐसे वीडियो भी देखे हैं जिनमें कई बार आम जनता भी पुलिस को बुरा-भला कहते नजर आए। दरअसल, पुलिस द्वारा मास्क लगाने और शारीरिक दूरी कायम रखने के कोविड प्रोटोकाल के लिए रोकने-टोकने पर कई लोग पुलिस की एक नकारात्मक छवि को गढ़ने का प्रयास करते रहे हैं। जबकि यह वास्तविकता है कि कोरोना की वीभत्स आपदा के दौरान देश में लगातार कोरोना योद्धा के रूप में डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों ने सराहनीय कार्य किया है। हालांकि आम जन मानस की मानसिकता में अब धीरे धीरे बदलाव आ रहे है। विगत वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन योद्धाओं के कार्यों की सराहना की थी और इनके सम्मान में देशवासियों से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने की बात कही थी। वास्तव में इस महामारी के दौर में देश के इन कोरोना योद्धाओं ने अतुलनीय कार्य किया है और अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में कोई कसर नहीं छोड़ा है। इस वैश्विक महामारी के दौर में जहां वर्तमान में भारत सर्वाधिक प्रभावित देश बन चुका है। वहीं इसके साथ देश में एक डर का माहौल भी बना हुआ है। ऐसे में इसके खिलाफ जारी जंग के बीच उन पहलुओं को देखना रोचक होगा जिसकी बदौलत हम इस जंग को जीत सकते हैं या उसकी उम्मीद करते हैं। कोरोना माहामारी से जारी जंग में सबसे महत्वपूर्ण है कानून व्यवस्था और उससे उपजे संबंधित मुद्दों को नियंत्रित करने में पुलिस प्रशासन की भूमिका। यह उल्लेखनीय है कि देश में किसी भी सामूहिक चिंता या तनाव को कानून व्यवस्था के अनुपालन के समानांतर दुरुस्त किया जा सकता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की बढ़ती सकारात्मक भूमिका ने देश को संकट से निकालने की दिशा में अपना अहम योगदान दिया है। देश में अब तक जागरूकता के अभाव में पुलिस प्रशासन की नकारात्मक छवि गड़ी गई थी। यह सच है कि किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन की पहचान कठिन समय में होती है और पुलिस प्रशासन के मामले में भी ऐसा ही हुआ। पुलिस प्रशासन की यह सकारात्मक छवि केवल आज के समय ही देखने को नहीं मिली है, बल्कि विगत कई वर्षों में विभिन्न आपदाओं, घटनाओं के दौरान भी सामने आई है।

पर्यावरण: मानव जीवन का आधार

संपूर्ण ब्रहमांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ज्ञात गृह है, जहां पर्यावरण उपस्थित है और जिसके कारण जीवन उपस्थित है। पांच जून को प्रतिवर्ष पर्यावरण संरक्षण के पवित्र ध्येय का स्मरण करने के उद्देश्य से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जब से मानव सयता प्रारंभ हुई है, तब से लेकर आज तक पर्यावरण संरक्षण एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। भारतीय दर्शन मे प्रकृति के साथ जीने की जीवन पद्धति को अपनाया गया है, इसीलिए भारतीय दर्शन प्रकृति के साथ संबध स्थापित करता है। अर्थवुवेद वेद में यह कहा गया है कि 'माता भुमि:, पुत्रोहं पृथिव्या:' अर्थात यह धरा, यह भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। पर्यावरण संरक्षण पीढ़ी हर पीढ़ी आगे बढ़ता जाए, इसके लिए पर्यावरण संरक्षण को धर्म से भी जोड़ा गया, और ऐसी उद्घोषणा भी कि कहते हैं सारे वेद पुराण, एक पेड़ बराबर सौ संतान। मानव सभ्यता के विकास क्रम में जब इस जानकारी से साक्षात्कार हुआ कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है एवं कार्बन डाई ऑसाइड मनुष्य छोड़ता है, उसे पेड़ ग्रहण करते हैं, तो पेड़ और मनुष्य के मध्य तादात्य स्थापित हो गया। भारतीय सभ्यता संस्कृति में प्रकृति और पर्यावरण को पूज्य मानने की परंपरा बहुत पुरानी है, जिसका उदाहरण हम सिंधु घाटी सभ्यता में मिले प्रकृति पूजा के प्रमाणों, वेदिक संस्कृति के प्रमाणों में देख सकते हैं। भारतीय जन जीवन में वृक्ष पूजन की परंपरा भी रही है। पीपल के वृक्ष पूजा एवं उसके नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्ति करना एवं समाज जीवन की चर्चा करना परंपरा का हिस्सा रहा है। भारतीय संस्कृति में विशेषकर उत्तरी भारत में एक पूनम को पीपल पूनम भी कहा जाता है। इसी प्रकार वैशाख पुर्णिमा को बुद्ध पुर्णिमा के नाम से जाना जाता है।

कालान्तर कुछ ऐसा कालखंड भी आया जिसमें भारतवर्ष गुलाम हुआ। मनुष्य की श्रेष्ठ चीजों का भी पतन हुआ। सुख-सुविधाओं के आकर्षण में प्रकृति का दोहन प्रारंभ हुआ और मनुष्य ने पेड़- पौधों का काटना प्रारंभ किया। भौतिक सुख की आकांक्षा ने पूरे विश्व में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। विकास की अंधी दौड़ में जंगल कम होते गए, कार्बन और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता गया। पृथ्वी के सामान्य तापमान में वृद्धि होने लगी। संपूर्ण विश्व में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या महसूस की जाने लगी। जिसके प्रारंभिक दुष्परिणाम दुनिया के देशों ने मौसम परिवर्तन, कहीं बाढ़, कहीं सूखा, ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्री जल स्तर का बढ़ना और जैव विविधता में कमी आदि रूपों में महसूस किया। ऐसे समय हमें मानव सयता के संरक्षण के लिए पहले पर्यावरण संरक्षण पर गंभीरता से ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें अपनी प्राचीन पर्यावरण संरक्षण की परंपराओं पर पुन: विचार करना होगा। कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा, व्यापक वनीकरण के प्रयास करने होंगे। पर्यावरण संरक्षण को अपनी नीतियों का प्रमुख हिस्सा बनाना होगा। भारत सरकार की वर्तमान नीतियां पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत प्रारंभ से ही पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक उपायों, समेलनों एवं समझौतों का हिस्सा रहा है। स्टोकहोम समेलन से लेकर पेरिस समझौते तक भारत पूर्ण समर्पण के साथ इनके साथ खड़ा रहा है। 2015 में पेरिस समझौते में विश्व के 196 देशों ने लक्ष्य निर्धारित किया कि वैश्विक औसत तापमान को इस सदी के अंत तक औद्योगिकीकरण के पर्व के समय के तापमान के स्तर से 2 डिग्री सेंटीगेट से अधिक नहीं होने देना है। यह लक्ष्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की मात्रा को सीमित करने पर आधारित है। भारत इस समझौते का महत्वपूर्ण अंग है।

सूरदास कहते हैं कि मन रे वृक्षन से मति ले, मन तू वृक्षन से मति ले। काटे वाको क्रोध न करहीं, सिंचत न करहीं नेह। धूप सहत अपने सिर ऊपर, और को छांह करेत।। जो वाही को पथर चलावे, ताही को फल देत। मैं इस अवसर पर गुरु जभेश्वचर, संत जसनाथ, सुंदरलाल बहुगुणा और अमृतादेवी बिश्नोई का भी विशेष स्मरण करना चाहूंगा। गुरु जभेश्वर विश्नोई समाज के आराध्य हैं एवं उन्होंने प्रकृति संरक्षण एवं प्राणिमात्र के प्रति दया भाव का संदेश दिया। संत जसनाथ ने वृक्षों के महत्व को रेखांकित करते हुए वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया। सुंदरलाल बहुगुणा के चिपको आंदोलन से हम सभी परिचित हैं कि किस प्रकार उन्होंने पेड़ों का संरक्षण किया। अमृता देवी के सर्वोत्तम बलिदान को कौन भूल सकता है जिनके नेतृत्व में पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहूति दी। आज के इस विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं इन सभी महान आत्माओं को अपना नमन निवेदित करता हूं। प्रकृति के सब जीवों में मानव जीवन श्रेष्ठ है। विवेकशील होने के कारण मानव जीवन को यह श्रेष्ठता हासिल है। या हम श्रेष्ठता की श्रेणी में नहीं रहना चाहते हैं। अपने अनुभवों का विश्लेषण करना हमें श्रेष्ठ बनाता है। चिंतन, मनन और मंथन की प्रक्रिया हमें श्रेष्ठ बनाती है।

अर्जुन राम मेघवाल
(केंद्रीय राज्यमंत्री, संसदीय कार्य तथा भारी उद्योग)

आसान नहीं होगा अब खेती की जमीन पर घर बनाने का सपना

संवाददाता, भोपाल

शहर से सटे इलाकों में खेती की जमीन पर कट रही अवैध कॉलोनी में प्लॉटिंग को आधार बनाकर लांबाखेड़ा, रातीबड़, परवलिया सड़क, नीलबड़, विदिशा रोड, भानपुर, सेवनिया ओमकारा, ईंटखेड़ी, अचारपुरा सहित अन्य क्षेत्रों में घर बनाना अब आसान नहीं होगा। क्योंकि मास्टर प्लान में जमीनों का लैंडयूज कृषि ही बना हुआ है। यहां रेट बढ़ाने से पहले मास्टर प्लान में इन जमीनों का लैंडयूज बदलकर आवासीय करना होगा। इसके बाद ही यहां निर्माण संबंधी एनओसी जारी हो सकती हैं और वैध कॉलोनी का दर्जा मिल पाएगा।

प्रॉपर्टी के दामों में 17 फीसदी बढ़ोतरी प्रस्तावित ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर्टी के दामों में 17 फीसदी तक बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। जिससे इन जगहों पर अवैध कॉलोनी में भी प्लॉट खरीदना भी महंगा हो जाएगा। अपनी छत का सपना साकार करने से पहले उसे रजिस्ट्री कराने में अच्छा खास स्टाम्प चुकाना होगा। इसके बाद भी उसे वैध कॉलोनी का दर्जा नहीं मिलेगा। सीवेज, सड़कें, पानी जैसी मूलभूत जरूरतें भी पूरी करने के लिए भारी मशक्कत करनी होगी।

क्या हो रहा है

राजधानी से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्रोजेक्ट के लिए जमीन पर काम शुरू हो गया है, लेकिन निर्माण कम ही जगह शुरू हुआ। यहां बड़े स्तर पर निर्माण कर फ्लैट या डुप्लेक्स नहीं बेच सकते। इसके लिए कई प्रकार की अनुमति की जरूरत होती है, एसे में यहां प्लॉटिंग कर बेचने का काम चल रहा था। प्रशासन की कार्रवाई के बाद इस पर भी कुछ समय से लगाम कस चुकी है।

जो महिलाएं जंगल और जंगली जीवों के बारे में परंपरागत रूप से अच्छी जानकारी रखती हैं उन्हें चयनित किया जाएगा

टूरिस्ट गाइड की भूमिका में नजर आएंगी प्रदेश की आदिवासी महिलाए

संवाददाता, भोपाल

प्रदेश के जंगली पर्यटन स्थलों पर अब तक पुरुष गाइड रखने की परंपरा रही है , लेकिन अब इस परंपरा को तोड़ने की तैयारी कर ली गई है। इसके तहत अब इस तरह के इलाकों में महिलाओं की भी टूरिस्ट गाइड के तौर पर तैनाती की जाएगी। खास बात यह है कि यह महिलाएं आदिवासी समुदाय से होंगी। इसके लिए उन्हें बाकायदा प्रशिक्षित करने की योजना तैयार कर ली गई है। फिलहाल उनकी तैनाती पहले एक जिले में बतौर पॉयलट प्रोग्राम के तहत की जाएगी। इसकी वजह है आदिवासी वर्ग की महिलाओं को जंगल की सभी प्रकार की जानकारी रहती है।

जिसमें जंगली रास्तों से लेकर पेड़ -पौंधों की जानकारी और उनके औषधीय गुण भी वे जानती हैं। यही नहीं, वे आदिवासी परंपरागत कला में माहिर भी होती हैं, उनकी इसी कला को निखारने के साथ ही उनकी आय वृद्धि के लिए यह पहल की जा रही है।

इस बार ये पायलट प्रोजेक्ट को आजीविका मिशन के तहत शुरू किया जा रहा है। इसके लिए शुरू में चयनित आदिवासी महिलाओं को टूरिस्ट गाइड के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसकी शुरुआत कूनो-पालपुर नेशनल पार्क स्थित पालपुर की गढ़ी में होगी। इसमें मप्र ग्रामीण आजीविका मिशन, कूनो सामान्य वनमंडल संयुक्त रूप यह प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है। इसके तहत पहले दिन महिलाओं का परिचय और कूनो व अन्य पयर्टन स्थलों की जानकारी दी जाएगी। कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ व एडीएम महिलाओं से चर्चा कर उन्हें पर्यटन के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तीसरे और अंतिम दिन उन्हें जंगल दिखाकर पेड़-पौधों से लेकर जानवरों तक की पूरी जानकारी दी जाएगी।

यह भी दिया जाएगा प्रशिक्षण

इस प्रशिक्षिण शिविर में महिलाओं को गाइड के कर्तव्य, पर्यटकों से बातचीत करने का तरीका तो बताया ही जाएगा। साथ ही उन्हें उन स्थानों के बारे में जानकारी दी जाएगी जहां -जहां पर्यटकों को ले जाना है। इनमें कूनो पार्क में कई प्राकृतिक नजारे हैं। इसके अलावा उसमें कई तरह के पेड़ और प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उनके बारे में भी हरी जानकारी दी जाएगी। गौरतलब है कि आदिवासी समुदाय की महिलाएं जंगल से लकड़ी काटकर या फिर गोंद, के अलावा जड़ी-बूटियों को बेचकर परिवार का भरण पोशण करती हैं। वे जंगल और जंगली जीवों के बारे में परंपरागत रुप से अच्छी जानकारी रखती हैं। इसी वजह से ही उनको इस काम के लिए चुना गया है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत लगाएं फूड प्रोसेसिंग उद्योग

संवाददाता, भोपाल

पीएम एफएमई- योजना में फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगाने के लिए कहां आवेदन करें, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य, संघ-राज्य क्षेत्र सरकार के भागीदारी में मौजूदा सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी एवं कारोबार सहायता देने के लिए अखिल भारतीय आधार पर पीएम एफएमई-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना शुरू की हैं। योजना का उद्देश्य मौजुदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय तकनीकी और व्यवसायी सहायता प्रदान करना हैं तथा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण ईकाईयों के क्षमता निर्माण और अनुसंधान पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना है। योजना को वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक पांच वर्षो के लिए लागू किया जाएगा।

एक जिला एक उत्पाद

राज्यों द्वारा कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान मे रखते हुए एक जिले के लिए एक खाद्य उत्पाद की पहचान की गई। भारत सरकार द्वारा चयनित धनिया फसल से संबंधित उत्पाद को नवीन खाद्य प्रसंस्करण स्थापित करने व पूर्व से संचालित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में उन्नयन के लिये भी अनुदान की पात्रता रहेगी।

वित्तीय सहायता

मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां, जो अपनी इकाइयों के उन्नयन के इच्छुक हैं, वे पात्र इकाइयां परियोजना लागत का 35 प्रतिशत तक ऋण आधारित पूंजीगत सब्सिडी का लाभ उठा सकती हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए प्रति इकाई हैं। कृषक उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों या निजी उद्यमों को सामान्य प्रसंस्करण, सुविधा, प्रयोगशाला, गोदाम सहित बुनयादि ढांचे के विकास के लिए 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट-लिंक्ड अनुदान के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

सीड कैपिटल के रूप में स्वसहायता समूह सदस्य को कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरण खरीदने के लिए 40 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सहायता प्राप्त करने के लिए इच्छुक मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें एफएमई पोर्टल पर आवेदन कर सकती हैं। योजना के विस्तृत दिशा निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/Login पर देखें जा सकते हैं। यही नहीं, संबंधित अधिकारियों से भी संपर्क किया जा सकता है।

ग्वार दलहन की उन्नत खेती

संवाददाता, सीहोर। ग्वार दलहनी फसलों के अन्तर्गत आती है, ग्वार शुष्क जलवायु की कम पानी की आवश्यकता वाली फसल है जो कि बढ़ते जलवायु परिवर्तन घटते संसाधनों में अलग भूमिका निभाती है। ग्वार को ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु दोनों मौसमों में उगाया जा सकता है। इसके दानों का उपयोग औषधीय एवं व्यवसायिक रूप से ज्यादा किया जाता है। इसकी हरी फल्लियों की सब्जी भी बनायी जाती है। इसका उपयोग पशुओं के दाना के रूप में भी किया जाता है और गोंद का उपयोग उद्योग में होता है। इसके दानों में प्रोटीन 18 प्रतिशत, रेसा 32 प्रतिशत एवं गोंद 30 से 33 प्रतिशत तक पाई जाती है। इससे प्राप्त हरे एवं शुष्क चारे को पशुओं को खिलाया जाता है। ग्वार की खेती सबसे ज्यादा राजस्थान में होती है ।

जलवायु - ग्वार एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसकी बढ़वार के लिए गर्म मौसम की आवयकत होती है इसकी बोवनी के समय अच्छे अंकुरण के लिए 300 से 350 से.ग्रे. तापमान की आवयकता होती है और फसल की अच्छी वानस्पतिक वृद्धि के लिए 320 से 380 से.ग्रे. तापमान उपयुक्त होता है। वातावरण में आर्द्रता की अधिकता जीवाणुपत्ती झुलसा एवं जड़ गलन रोगो को बढ़ावा मिलता है ।

भूमि का चयन - ग्वार की खेती के लिए बलुई दोमट एवं दोमट (हल्की एवं मध्यम) भूमि से उपयुक्त है जिसका पीएचमान 7 से 8.5 के मध्य होना चाहिए। काली मिटटी (भारी) में ग्वार की खेती नही करना चाहिए। फसल की वृद्धि एवं बढ़वार के लिए जल निकास की नालियां बनाना चाहिए। ज्यादा नमी वाले क्षेत्रो में फसल वृद्धि प्रभावित होती है।

भूमि की तैयारी: रबी फसल कटने के बाद एक जुताई डिस्क हैरो या कल्टीवेटर से अप्रैल या मई माह में अवश्य करना चाहिए। उसके बाद मानसून आने पर 2 जुताई कल्टीवेटर से कर पाटा चलाकर खेत को भुरभुरा कचरा रहित तैयार कर लें।

उन्नत किस्में: बीज एवं गोंद के लिए किस्में - आरजीसी-193, आरजीसी-936, आरजीसी-1038, आरजीसी-1002, एचजी-365, एचजी-563 सब्जियों के लिए किस्में: दुर्गा बहार, पूसा नवबहार, पूसा सदाबहार चारे वाली किस्में- एचएफजी-156, एचएफजी-119 बीजदर- ग्वार का 20-25 किग्रा बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है।

बीजोपचार - फसल को बीजजनित फफूंदनाशक रोगों से बचाने के लिए कार्बोक्सीन 37.5 प्रतिशत . थायरम 37.5 प्रतिशत दवा 2 ग्राम प्रति किग्रा बीज की दर से उपचारित करना चाहिए इसके बाद जैव उर्वरक राइजोनियम और स्फुर घोलक जीवाणु (पीएसबी) से 10-10 मिली प्रति किग्रा बीज की दर से उपचारित कर शीघ्र बोवनी कर देना चाहिए।

बोवनी की विधि - ग्वार के बीज की बोवनी सीड कम फर्टीड्रिल से कतारों में करना चाहिए। कतार से

कतार की दूरी 40-45 सेमी एवं पौधा से पौधा की दूरी 15-20 सेमी होना चाहिए।

फसल चक्र: ग्वार के बाद गेंहू/ग्वार के बाद चना/ग्वार के बाद सरसों यह फसल चक्र काफी लाभदायक होगा।

सिंचाई: ग्वार की खेती मुख्यत: खरीफ मौसम में की जाती है इसलिए सिंचाई की आवयकता नहीं पड़ती है, लेकिन पुष्प एवं फली अवस्था में नमी की कमी आने पर एक हल्की सिंचाई अवश्य करना चाहिए। खेत में ज्यादा पानी भरने पर फसल प्रभावित होती है इसलिए जल निकास की उचित व्यवस्था होना चाहिए।

उर्वरक - नत्रजन 15 से 20 किग्रा, फास्फोरस 35-40 किग्रा एवं पोटाश 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर आधार रूप में प्रयोग करना चाहिए।

निदाई प्रबंधन- ग्वार के अधिक उत्पादन के लिए दो निदाई गुड़ाई करना चाहिए। प्रथम निदाई बोवनी के 20 से 25 दिन बाद और दूसरी निदाई बोवनी के 40 से 45 दिन बाद करना चाहिए। श्रमिक समस्या होने पर रासायनिक दवा बीज के अंकुरण के पहले पेंडीमैथलिन 30 प्रतिात ईसी दवा 0.75 किग्रा / हेक्टेयार और अंकुरण के पश्चात बोवनी के 20 से 25 दिन बाद इमेजाथाइपर 10 प्रतिशत एसएल दवा 40 ग्राम/हेक्टेयर 500-600 ली पानी में घोल बनाकर स्प्रेयर पम्प में फ्लेट फेन नोजल लगाकर छिड़काव करें।

प्रमुख कीट: जैसिड, माहू एवं सफेद मक्खी - यह चूशक कीट पत्तियों, तनों, फूलों एवं फलियों से रसचूसकर पौधे को हानि पहुंचाता है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत, एसएल 200-250 मिली या डाइमेथियोएट 500 से 700 मिली प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

प्रमुख बीमारियां: जीवाणु झुलसा (बेक्टेरियल ब्लाईट) - इस रोग के बचाव के लिए रोग प्रतिरोधी किस्में एवं प्रमाणित बीज लगाएं। बोवनी के पूर्व बीजोपचार स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 200 पीपीएम 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलबनाकर उसमें बीज तीन घंटे डुबोकर रखना चाहिए और खड़ी फसल में रोग आने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।

एन्थ्रोक्नोज एवं अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा - इन रोगों के बचाव के लिए खड़ी फसल में मेंकोजेब 75 डब्ल्यूपी दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलबनाकर छिड़काव करें और नियंत्रण न होने पर पुन: 15 दिन के बाद एक छिड़काव करें।

उपज: उन्नत तकनीक अपनाने पर ग्वार के दानों की 15 से 20 क्विंटल तक उपज प्राप्त हो जाती है ।

खरीफ 2021 के लिए किसानों को सलाह

100 मिमी बारिश होने पर करें सोयाबीन की बोवनी

संवाददाता, भोपाल

संयुक्त संचालक कृषि बीएल बिलैया ने किसानों को खरीफ फसल के संबंध में उपयोगी सलाह दी है, जिसके अनुसार वर्षा के आगमन पश्चात पर्याप्त वर्षायानी 4 इंच वर्षा होने पर ही सोयाबीन की बोवनी का कार्य करें। मध्य जून से जूलाई का प्रथम सप्ताह बोवनी के लिए उपयुक्त है।

सोयाबीन की बोवनी के लिए न्यूनतम 70 प्रतिशत अंकुरण के आधार पर उपयुक्त बीज दर का ही उपयोग करें। बीज के अंकुरण परीक्षण के लिए 100 दाने लेकर गीले टाट के बोरे या अखबार में रखकर घर पर ही कृषक बीज की औसत अंकुरण क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। 70 प्रतिशत से कम अंकुरण क्षमता होने पर 20 से 25 प्रतिशत अधिक बीज दर का उपयोग करना चाहिए। सोयाबीन की बोवनी बीबीएफ (चौडी क्यारी पद्धति) या रिज-फरो (कूड मेड पद्वति) से ही करें, जिससे सूखा/अतिवर्षा के दौरान उत्पादन प्रभावित नही होता है। बोवनी की इन विधियों से बीज दर भी कम लगती हैं। सोयाबीन की जे एस 20-69, जेएस 20-34, जेएस 95-60, आरव्हीएस 2001-4, जेएस 93-05 उन्नत किस्मों का बीज बीज निगम एवं नेशनल सीड कार्पोरेशन या पंजीकृत बीज विक्रेताओं से क्रय कर ही बोवनी करें। जिन कृषकों के पास सोयाबीन का बीज रखा है उसकी ग्रेडिंग स्पाईरल ग्रेडर से कर स्वस्थ व साबूत दानों को बीज के रूप में उपयोग करें। सोयाबीन की बीज दर 75 से 80 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। ज्यादा बीज दर रखने से कीट रोग एवं अफलन की समस्या आती हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 4.50 लाख पौधों की संख्या होनी चाहिए।

कतार से कतार की दूरी कम कम 14 से 18 इंच के आसपास रखें। बोवनी के समय बीज को अनुशंसित फफूंदनाशक थायरम + कार्बोक्सिन (3 ग्राम प्रति किग्रा बीज) अथवा थायरम + कारबेन्डाजिम (3 ग्राम प्रति किग्रा बीज) अथवा ट्रायकोडर्मा10 ग्राम/किग्रा बीज पेनफलूफेन ट्रायक्लोक्सिस्ट्रोविन (1 मिली प्रति किग्रा बीज) की दर से बीज उपचार करें। तत्पश्चात जैविक कल्चर. ब्रेडीराइजोबियम जपोनीकम एवं स्फूर घोलक जीवाणु दोनों प्रत्येक 5-5 ग्राम/किग्रा बीज की दर से बीज उपचार करें। पीला मौजेक बीमारी की रोकथाम के लिए कीटनाशक थायोमिथाक्सम 30 एफ एस(10 मिली/किग्रा बीज) से उपचार करने के लिए कय सुनिश्चित कर लें। खेत की अंतिम बखरनी के पूर्व अनुशंसित गोबर की खाद 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डालकर खेत में फैला दें। सोयाबीन की बोवनी यदि डबल पेटी सीडकम फर्टिलाईजर सीडड्रिल से करते हैं तो बहुत अच्छा हैं। जिससे उर्वरक एवं बीज अलग अलग रहता है। जिससे उर्वरक बीज के नीचे गिरता हैं तो लगभग 80 प्रतिशत उर्वरक का उपयोग हो जाता हैं। नाईट्रोजन, फस्फोरस, पोटाश एवं सल्फर की मात्रा क्रमश: 20:60: 30:20 किग्रा प्रति हेक्टेयर के मान से उपयोग करें। इस के लिए एनपीके (12:32:16) 200 किग्रा+25 किग्रा जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर और डीएपी 111 किग्रा एवं म्यूरेट ऑफ पोटाश 50 किग्रा+25 किग्रा जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर उपयोग कर सकते हैं। सूखा अवरोधी फसलों जैसे-मक्का, ज्वार, मूग, उड़द, बाजरा आदि फसलों का चयन करें। मक्का की संकर प्रजातिया, बाजरा की कम अवधि वाली किस्मों का चुनाव करें अरहर की कम अवधि में पकने वाली जातियां जैसे आईसीपीएल 880 39, पूसा-992 आदि का बीज क्रय कर रखें। खरीफ के लिए रासायनिक उर्वरकों यूरिया, डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, पोटाश का अग्रिम उठाव कर लें।

हरी खाद की खेती मृदा की उर्वरा शक्ति एवं जल धारण क्षमता में इजाफा

सीहोर/टीकमगढ़। फलीदार फसलों को अधिक वानस्पतिक वृद्धि अवस्था में ही फसल को मिट्टी में जोतकर सड़ने के उपरांत तैयार जैव पदार्थ को ही हरी खाद कहते हैं। हरी खाद वाली फसलों की जड़ों में ग्रंथियों में (नोडल्स) बेमिकल रेडीकोला जीवाणु पाए जाते हैं, जो वायुमंड से नाइट्रोजन को लेकर फसलों की पूर्ति के साथ अगली फसल के लिए भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा स्तर हो जाती है। वर्तमान में किसान उन्नत तकनीक अपनाकर सघन पद्धति से खेती कर रहा है। एक वर्ष में एक खेत से 2 से 3 फसल उगा रहा है। फसलों के अधिक उत्पादन के लिए असन्तुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाक दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं। जिससे भूमि की भौतिक एवं रासायनिक संरचना की गुणवत्ता में गिरावट के साथ जल एवं वायु में विषैला प्रभाव बढ़ रहा है।

साथ ही रासायनिक उर्वरको एवं दवाओं के प्रयोग से उत्पादित पदार्थ स्वादहीन, विषैले तत्वों की वृद्धि के कारण मुनष्य के शरीर में कई प्रकार की बीमारियां पनपती जा रही हैं। इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरी खाद की खेती करना वर्तमान समय की आवयकता है। हरी खाद के लिए उपयोगी फसल - सनई, ढैंचा, सिस्बेनिया रोस्ट्रेटा, मूंग, उड़द, मैंथी, सैजी एवं फली तुड़ाइ के बाद बरवटी आदि प्रमुख फसलें हैं।

धान की उन्नत खेतीः सही समय व ज्यादा उत्पादन प्राप्त करें किसान

संवाददाता, भोपाल

भारत में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु आदि कई ऐसे राज्य हैं जहां मुख्य रूप से धान की खेती होती है। झारखंड जैसे राज्य के क्षेत्र में धान की खेती 71 प्रतिशत भूमि पर उगाया जाता है। यहां राज्य की बहुसंख्यक आबादी का प्रमुख चावल है। लेकिन इसके बावजूद धान की उत्पादकता यहां अन्य विकसित राज्यों की तुलना में काफी कम है।

धान की खेती के लिए किसानों को कृषि तकनीक का ज्ञान देना आवश्यक है जिससे वो उत्पादकता बढ़ा सकें। धान की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सबसे प्रमुख चीज यह भी है कि इसके किस्मों का चुनाव भूमि एवं जलवायु को देखकर उचित तरीके से किया जाए।

खेत की तैयारी

गर्मी के समय में धान की खेती के लिए 2 से 3 बार जुताई करना चाहिए। साथ ही खेतों की मजबूत मेड़बंदी भी कर देनी चाहिए। इस प्रक्रिया से खेत में वर्षा का पानी अधिक समय के लिए संचित भी किया जा सकता है। वहीं अगर हरी खाद के रूप में ढैंचा/सनई ली जा रही है तो इसकी बुवाई के साथ ही फास्फोरस का भी प्रयोग कर लिया जाएगा। धान की बोवनी/रोपाई के लिए एक सप्ताह पूर्व खेत की सिंचाई कर देना चाहिए। वहीं खेत में खरपतवार होने के बाद इसके पश्चात ही बोवनी के समय ही खेत में पानी भरकर जुताई कर दें।

बीज की मात्रा

धान की सीधी बोवनी की अगर बात करें तो इसमें बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर लगभग 40 से 50 किलोग्राम तक होना चाहिए। इसके साथ ही धान की रोपाई के लिए यह मात्रा लगभग 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। वहीं कई लोग नसज़री बनाने से पहले बीज का शोधन करते हैं। इसके लिए वो 25 किलोग्राम बीज में 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसईक्लीन तथा 75 ग्राम थीरम का प्रयोग करके बीज को शोधिक करके बोवनी करते हैं।

सीधी बोवनी लोकप्रिय

धान की सीधी बोवनी किसानों में इन दिनों ज्यादा लोकप्रिय हो रही है और किसान इससे लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। इस विधि में सबसे महत्वपूर्ण यह होता है की उचित समय पर बोवनी करना। मांनसून आने के 10 से 12 दिन पूर्व यानि मध्य जून तक बोवनी कर लेनी चाहिए। यह प्रक्रिया उत्तर और पूरे मध्य भारत में होती है। अगर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य की बात करें तो यहां धान की बोवनी खुर्रा विधि से की जाती है जिसका मतलब है सूखे खेतों में बोवनी।

उर्वरक प्रबंधन

धान की फसल में उर्वरक की मात्रा का प्रयोग काफी आवश्यक होता है। किसान रोपनी के कार्य के बाद अगर इन चीजों का प्रबंधन उचित ढंग से करें तो पैदावार अच्छे तरीके से किया जा सकता है। किसान धान की खेती के लिए यूरिया का प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं जिससे उनको नुकसान होता है। नीचे दिए प्रति एकड़ अनुपात में सभी चीजों का प्रयोग करके किसान धान की फसल से लाभ ले सकते हैं।

नत्रजन- 100-120 किग्रा
फॉस्फोरस- 60 किग्रा
पोटाश- 40 किग्रा
जिंक- 25

जिसके लिए 100-130 किग्रा डीएपी, 70 किग्रा एमओपी, 40 किग्रा यूरिया एवं 25 किग्रा जिंक प्रति हेक्टेयर (चार बीघा) की दर से रोपाई के समय प्रयोग करें। यूरिया की 60-80 किलोग्राम मात्रा रोपनी के 4-5 सप्ताह बाद एवं 60-80 किलोग्राम मात्र रोपनी के 7-8 सप्ताह बाद प्रति हेक्टेयर खेत में प्रयोग करें।

सिंचाई

धान की फसल को फसलों में सबसे अधिक पानी की आवशयकता पड़ती है। फसल को कुछ विशेष अवस्थाओं में रोपाई के बाद एक सप्ताह तक कल्ले फूटने वाली, बाली निकलने फूल निकलने तथा दाना भरते समय खेत में पानी बना अति आवश्यक है।

वर्षाकालीन बैंगन की खेती से कमाएं अच्छा मुनाफा

संवाददाता, भोपाल

खरीफ का मौसम शुरू हो गया है। वैसे तो इस सीजन सोयाबीन, मक्का, ज्वार जैसी खरीफ की फसलों की बोवनी की जाती है है। लेकिन इस सीजन में सब्जियों की खेती भी अच्छा मुनाफा दिला सकती है। वर्षाकालीन बैंगन की खेती से किसानों को अच्छा लाभ मिल सकता है। तो आइये जानते हैं वर्षाकालीन बैंगन की खेती की पूरी जानकारी-

कब लगाएं नर्सरी

वर्षाकालीन बैंगन की खेती के लिए जून के पहले सप्ताह में नर्सरी तैयार की जाती है। इसके लिए एक मीटर चौड़ी, 3 मीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां तैयार करें। एक हेक्टेयर में बैंगन लगाने के लिए लगभग 25 से 30 क्यारियां तैयार की जाती है। बीज की बोवनी से पहले हर क्यारी में 300 ग्राम एनपीके और 15 से 20 किलोग्राम गोबर खाद डालना चाहिए।

कब करें पौधरोपण

30 से 35 दिनों बाद पौधे तैयार हो जाते हैं। जब पौधे 12 से 15 सेंटीमीटर बड़े और 3 से 4 पत्तियां आ जाए तब पौधों की रोपाई की जाती है। जुलाई महीने के दूसरे सप्ताह में यह रोपाई की जाती है। पौधों की रोपाई के दौरान पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी एक मीटर रखना चाहिए। प्रति एकड़ तकरीबन 7 हजार पौधों की रोपाई की जाती है। एक एकड़ से 120 क्विंटल तक का उत्पादन हो जाता है।

बैंगन की उन्नत किस्में

बैंगन की प्रमुख उन्नत प्रजातियों की बात करें तो इनमें पूसा पलर, पूसा अनमोल, पूसा पर्पल, ग्राउंड पूसा और हाइब्रिड-6 प्रमुख हैं।

बैंगन की खेती के लिए मिट्टी

कार्बनिक पदार्थ युक्त मिट्टी में बैंगन की पैदावार अच्छी होती है। इसलिए इसकी खेती के बलुई दोमट से लेकर भारी मिट्टी में भी हो जाती है। वहीं खेत में जलनिकासी की उत्तम व्यवस्था होना चाहिए। इसकी खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 6.0 तक उत्तम माना जाता है।

बैंगन की खेती के लिए खाद व उर्वरक

बैंगन की अच्छी पैदावार के लिए पर्याप्त पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। इसलिए प्रति हेक्टेयर के लिए 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 75 किलोग्राम फॉस्फोरस, 50 से 60 किलोग्राम पोटाश और 200 से 250 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद डालना चाहिए।

बैंगन की खेती के लिए तुड़ाई

पूरी तरह से पकने के पहले ही बैंगन की तुड़ाई करना चाहिए जिससे फसल के अच्छे दाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं बैंगन की तुड़ाई के पहले रंग और आकार का भी खास ध्यान रखना चाहिए। जब बैंगन चिकना और आकर्षक हो उस समय पर ही इसकी तुड़ाई करना चाहिए।

बैंगन की खेती के लिए स्टोरेज

सामान्यतौर पर बैंगन का अधिक समय तक स्टोरेज नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसे ही इसे रखा जाता है तो इसकी नमी खत्म हो जाती है जिससे इसकी बाजार वैल्यू कम हो जाती है। हालांकि 10 से 11 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बैंगन को दो से तीन सप्ताह के लिए स्टोरेज रखा जा सकता है। वहीं इस दौरान बैंगन की 92 प्रतिशत नमी को बचाया जा सकता है। बैंगन की पैकेजिंग के लिए आकर्षक बोरियों और टोकरियों का प्रयोग करना चाहिए।

कृत्रिम जलवायु में बनेंगे बीजः ग्वालियर के विजयाराजे सिंधिया कृषि विवि में चल रहा प्रयोग

पचास साल बाद उगाई जाने वाली फसलों के शोध में जुटे वैज्ञानिक

» सूखी मिट्टी और बेमौसम बारिश में भी उपज देने वाले बीजों के उत्पादन की तैयारी

» विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग में बीजों का जींस बैंक भी बनाया गया

» गेहूं, बाजरा, सरसों, सोयाबीन और दलहन पर ग्वालियर में चल रहा शोध

संवाददाता, ग्वालियर

विश्व की जलवायु में लगातार हो रहे बदलावों के चलते कृषि वैज्ञानिक खाद्यान्न उत्पादन पर इसके संभावित बुरे असर को लेकर चिंतित हैं। क्योंकि शोध में पता चला है कि पचास साल बाद भू-जल स्तर और नीचे रहेगा, मिट्टी अधिक शुष्क होगी और फसलों पर बेमौसम बारिश की मार भी पड़ेगी। इन स्थितियों में आज की फसलों से तो उत्पादन काफी मुश्किल होगा। नई परिस्थितियों के बावजूद बीज भरपूर फसल दें, इसके प्रयास प्रदेश की ग्वालियर में कृषि विज्ञानियों ने शुरू कर दिए हैं। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विवि परिसर में एक विशेष अध्ययनशाला तैयार की गई है। इसमें तापमान, आर्द्रता की स्थितियां कृत्रिम रूप से निर्मित की जाती हैं। पचास साल बाद के संभावित मौसम की स्थितियां बनाकर प्रयोग शुरू किया गया है। इससे यह फायदा होगा कि पांच दशक बाद के मौसम के अनुसार कौन सी फसल उगाई जा सकेगी, उनके बीजों का चयन कर उन्हें अभी से विकसित किया जा सकेगा।

फसल उत्पादन के खोजेंगे तरीके

विवि के बायोटेक्नोलॉजी विभाग में बीजों का जींस बैंक भी बनाया गया है। यही नहीं, लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि भूमि लगातार कम होती जा रही है। इसलिए विज्ञानियों से अपेक्षा है कि कम से कम कृषि भूमि पर अधिक से अधिक फसल उत्पादन के तरीके खोजें। इन्हीं चुनौतियों का हल खोजने के लिए अध्ययनशाला बनाई गई है। इसमें ओपन टॉप चैंबर, रेनआउट शेल्टर और अन्य उपकरणों के माध्यम से गर्मी, सर्दी और बारिश की कृत्रिम परिस्थितियां बनाई जाती हैं। फसलों पर कार्बन डायऑक्साइड का प्रभाव जानने का इंतजाम भी किया गया है।

भू-जल में आ रही गिरावट

भू-जल में गिरावट आ रही है। वर्षा चक्र में भी परिवर्तन दिख रहा है। अनायास बारिश से फसलों को नुकसान होता है। इन सब स्थितियों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले पचास वर्ष में भूजल में और कमी होगी। बारिश भी अनियमित होगी इसलिए भविष्य के बीज कुछ इस तरह से तैयार किए जा रहे हैं कि जो कम पानी में उगेंगे और बेमौसम बारिश का प्रभाव भी झेल सकेंगे। उनमें कीटों का प्रकोप न हो, इस पर भी अध्ययन किया जा रहा है। प्रमुख फसलों गेहूं, बाजरा, सरसों, सोयाबीन व दलहन पर यह शोध चल रहा है।

बीज बैंक भी बनाया गया

परिसर में ही स्थित कृषि महाविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी केंद्र में बीजों का जींस (वंशाणु) बैंक बनाया गया है। जिसमें मायनस 85 डिग्री तापमान तक बीज के जींस रखने की व्यवस्था की गई है। कृत्रिम स्थितियों में जो बीज तैयार होंगे उनके जींस निकालकर आने वाले वक्त के लिए रखे जाएंगे ताकि जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके।

इनका कहना है

अध्ययनशाला तकनीक और परिसर के मामले में काफी उन्नत है। इसका मकसद भविष्य की फसलों के बीजों का स्वरूप तय करना है। बीज तैयार करके फसल के लिए उपलब्ध करवाने में 10 से 15 वर्ष का समय लगता है इसलिए इसकी तैयारी अभी से की जा रही है। अभी शुरुआत है, जल्द ही इसके परिणाम भी सामने आएंगे।

डॉ. एसके राव, कुलपति, कृषि विवि, ग्वालियर

मौसम के अनुसार पौधा अपने आप को अनुकूल बनाता है। हर पांच वर्ष में आवश्यकता के हिसाब से नई प्रजाति विकसित होती है। आने वाले समय के लिए प्रजातियां विकसित कर रहे हैं। पानी की संभावित कमी को देखते हुए ऐसी प्रजातियां तैयार की जा रही है, जो कम पानी में बेहतर उत्पादन दे सकें।

डॉ. मनोज त्रिपाठी, अध्यक्ष, बायोटेक्नोलॉजी केंद्र, कृषि महाविद्यालय

प्रदेश में विलुप्त होने की कगार पर औषधीय पौधे

■ वन विभाग के साझा शोध में चौंकाने वाला खुलासा

■ तीन प्रजातियों के पौधे हो गए पूरी तरह से समाप्त

संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश में हर साल अरबों रुपए पौधरोपण और उनकी देखरेख पर खर्च करने वाला वन विभाग प्रदेश में बहुतायत में पाए जाने वाले औषधीय पौधों की देखरेख करने में नाकाम साबित हो रहा है। इससे तीन तरह के औषधीय पौधों का तो प्रदेश से नामोनिशान ही मिट चुका है, जबकि एक दर्जन प्रजातियों के पौधों के जीवन पर भी संकट खड़ा हो गया है। यह चौंकाने वाला खुलासा वन विभाग और राज्य बायोडायवर्सिटी बोर्ड के द्वारा किए गए शोध में हुआ है। शोध में कहा गया है कि अगर जल्द ही इन विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके वृक्षों की प्रजाति का संरक्षण नहीं किया गया तो वह भी पूरी तरह से कुछ दशकों में समाप्त हो जाएंगे। अभी जिन तीन औषधीय प्रजाति के पेड़ नहीं मिले हैं उनमें पीलू, सोनपाठा और वरुण के पेड़ शामिल हैं। इसी तरह से पाया गया है कि हर्र, अचार, अर्जुन, बीजासाल और मैदा लकड़ी जैसे प्रजाति के पेड़ भी बहुत कम मात्रा में पाए गए हैं।

नहीं उग रहे नए पौधे: शोध में एक और जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, वह है इनके नए पौधों का न उगना। अगर इन पर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दो चार दशकों में इनका भी नामोनिशान मिट जाएगा। यह उन प्रजातियों के पेड़ हैं, जिनका बड़े पैमाने पर दवा बनाने में उपयोग किया जाता है।

खतरे में अस्तित्व: शोध में यह खुलासा हुआ है कि इन प्रजातियों के पेड़ों का पुनर्जीवन पूरी तरह से निम्न स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा बैंगलुरु के फाउंडेशन फॉर रीवा इटेलाइजेशन ऑफ लोकल हैल्थ ट्रेडिशंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि मप्र में आधा सैकड़ा ऐसी प्रजाति के पौधे हैं, जिनका अस्तित्व खतरे में है।

छह जिलों किया शोध: इस शोध को प्रदेश के प्रमुख आधा दर्जन इकोरीजंस में किया गया है। इनमें दमोह, देवास, श्योपुर, पन्ना, बालाघाट और उमरिया का एक-एक वनमंडल का कंपार्टमेंट शामिल है। खास बात यह है कि इनमें तीन प्रजाति के पेड़ तो एक भी नहीं मिले हैं। इसके अलावा एक ही इलाके में सिर्फ आंवला, कुल्लू, हर्र और अचार के पेड़ मिले हैं।

इन्हें बचाना चुनौती: शोध की रिपोर्ट में जिन औषधीय पेड़ों को विलुप्त होने की कगार पर बताया गया है उनमें हर्र, अर्जुन, कुल्लू, अचार (चिरौंजी), आंवला, पाडर, सलई, बीजासाल, पीलू, मैदा लकड़ी, सोनापाठा, कटीरा और वरुण प्रजाति के पेड़ शामिल हैं। खास बात यह है कि यह वे प्रजातियां हैं, जिनका उपयोग कई तरह की गंभीर बीमारियों के इलाज में किया जाता है। इनमें पेट संबंधी, मधुमेह, कैंसर, चर्म रोग नेत्र विकार, हृदय की बीमारियां शामिल हैं।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

कार्यालय का पता- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, संपर्क-9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)